Popular Front of India

G-78,2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
5 जून 2017

पशुओं की खरीद फरोख्त पर लगाई गई पाबंदियों को वापस लोः पॉपुलर फ्रंट

केंद्र सरकार की ओर से पशुओं की खरीद फरोख्त पर लगाई गई नई पाबंदियों को फौरी और पूर्ण रूप से वापस लिया जाए, यह मांग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल सेक्रिटरिएट की बैठक के बाद जारी बयान में की गई। यह स्पष्ट रूप से एक जनविरोधी और लोकतंत्र विरोधी कदम है, जिससे न केवल एकतरफा तौर पर लाखों गरीबों की रोज़ी रोटी को नुकसान पहुँचेगा बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी ब्रेक लग जाएगी जो पहले से ही विनाषकारी नोटबंदी से प्रभावित है। यह कहना कि मवेशियों की तिजारत पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उत्तर–पूर्व और दक्षिण के कुछ राज्यों के लोगों को खुश करने की केवल एक चाल है, जहाँ बीफ बैन पर अमल नहीं किया जाता। दरअसल पशुओं की खरीद फरोख्त पर इस प्रकार की पाबंदियाँ बीफ बैन के बराबर है, क्योंकि इनसे खेती के अलावा किसी और मकसद से पशुओं की खरीद फरोख्त असंभव हो जाती है।

बैठक में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के आदेश की प्रशंसा की गई जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में जारी वध के लिए पशुओं की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर वक्ती तौर पर रोक लगा दी है। बैठक ने बीफ बैन के केंद्र सरकार के आदेश पर अमल न करने के केरल सरकार के निर्णय का भी स्वागत किया। राज्य सरकार ने जनता की भावनाओं और देश के हित में फैसला लिया है।

इसी दौरान, बैठक ने उच्च न्यायालयों और जजों की ओर से आने वाले बेतुके बयानों की आलोचना की। जिनमें से एक बयान राजस्थान हाई कोर्ट के जज की ओर से आया कि मोर सेक्स नहीं करता बल्कि मोरनी मोर के आँसू पीकर गर्भवति होती है। ऐसा ही एक फैसला केरल हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच की ओर से आया जिसमें कोर्ट ने एक 25 वर्षीय मुस्लिम महिला की शादी केवल इस बुनियाद पर रद्द कर दी कि उसके माता–पिता शादी में मौजूद नहीं थे। इस प्रकार के फैसलों से

हमारी न्याय प्रणाली मज़ाक बन कर रह जाती है। यह फैसले इंसाफ के बजाए व्यक्तिगत कारणों पर आधारित होते हैं।

बैठक ने सहारनपुर में ठाकुर समुदाय के द्वारा दलितों पर होने वाले हमले का जिम्मेदार भाजपा और मौजूदा यूपी सरकार को ठहराया। यह बड़े दुख की बात है कि जी.आर.पी. के एक सिपाही ने बिजनौर में चलती ट्रेन में एक मुस्लिम महिला के साथ दुषकर्म किया। यूपी के अंदर नई सरकार के तहत दलितों और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हाल के हमलों ने यह साबित कर दिया है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति काबू में नहीं है, बल्कि इसके बजाए यह हिंदुत्व के गुंडों के रहमो करम पर निर्भर है।

बैठक ने झारखण्ड में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर हिंसक भीड़ के द्वारा चार निर्दोष मुसलमानों को पीट–पीट कर मार डालने की घटना की कड़ी निंदा की है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद पुलिस खड़ी सारा तमाशा देखती रही थी। इस प्रकार के बढ़ते हमले फासीवादी ताकतों के भड़काऊ बयानों के कारण देश में फैले मुस्लिम विरोधी नफरत के माहौल का नतीजा हैं। बैठक ने इस गैर इंसानी अपराध में लिप्त पुलिस अफसरों सहित सभी दोषियों के खिलाफ कार्यवाई करने और मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवज़ा देने की मांग की।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की। वाइस चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य ई.एम. अब्दुर्रहमान, अब्दुलवाहिद सेठ तथा के.एम. शरीफ ने बैठक में भाग लिया।

एम. मुहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया